



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसविवि/2026/यथा राजकाज आईडी

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2014/19337 दिनांक 06-09-2014 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2023/24927 दिनांक 15-09-2023 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत श्री महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भागीरथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक कर्मचारी, निवासी-प्लॉट नंबर 14, जय हनुमान विहार कॉलोनी, कायड़ रोड़, अजमेर की सेवाएं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के परीक्षा नियंत्रक के अधीन सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु संविदा सेवाओं की निम्नांकित शर्तों पर सहायक कर्मचारी के रिक्त पद के विरुद्ध लिये जाने हेतु, उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दिनांक 31.08.2026 तक की अवधि के लिये अथवा सहायक कर्मचारी के पद पर नियमित सहायक कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त सहायक कर्मचारी, परीक्षा नियंत्रक के निर्देशानुसार सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करेंगे।
2. सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2023/24927 दिनांक 15-09-2023 के परिशिष्ट-क के अनुसार रु. 14,400/- प्रतिमाह देय होगी।
3. संविदा सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (संलग्न परिशिष्ट)
4. संविदा पर कार्यरत कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे विश्वविद्यालय सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
5. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
6. संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।
7. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अद्वयता पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुख होगा।
8. संविदा के आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बंदी को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह शेखावत अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के साथ नियमानुसार करारनामा एवं विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और अपनी जवाबदेही रिपोर्ट कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नक:- परिशिष्ट।

कुलसचिव

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसविवि/2026/यथा राजकाज आई डी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदसविवि, अजमेर।
2. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, मदसविवि, अजमेर।
3. ए0 सी0 पी0/सहायक कुलसचिव-लेखा एवं वित्त/परीक्षा, मदसविवि, अजमेर।
4. कुलगुरु सचिवालय, मदसविवि, अजमेर।
5. निजी सहायक-कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।
6. बिल सहायक-लेखा एवं वित्त अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।
7. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भागीरथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक कर्मचारी, निवासी-प्लॉट नंबर 14, जय हनुमान विहार कॉलोनी, कायड़ रोड़, अजमेर (मोबाईल नंबर-9461236222)
8. रक्षित पत्रावली संस्थापन अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।

कुलसचिव

RajKaj Ref No.:
23290154

Digitally signed by KAILASH
CHANDRA SHARMA
Designation: Additional
Registrar
Date: 2026-07-09 16:18:23